रजिस्ट्री सं० डी०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 1, 2012/ज्येष्ठ 11, 1934
No. 139] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 1, 2012/JYAISTHA 11, 1934

## भारतीय दंत्य परिषद्

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2012

**सं. डी.ई.-22-2012.**—दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 के खंड 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्व-अनुमोदन से भारतीय दंत्य परिषद्, भारत के असाधारण राजपत्र के भाग III, खंड 4 में 10 सितम्बर, 2007 को प्रकाशित मौजूदा मूल संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम, 2007 में निम्न संशोधन करती है :—

**1. लघु शीर्ष तथा प्रवर्तन**

(i) ये विनियम भारतीय दंत्य परिषद संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम (5वां संशोधन) विनियम, 2007 कहलाएंगे।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से शैक्षणिक सत्र 2013–14 से लागू होंगे।

2. "भारतीय दंत्य परिषद संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम विनियम, 2007" में निम्न अंतःस्थापन/उपांतरण/विलोपन/प्रतिस्थापन उसमें यथानिर्दिष्ट किए जाएंगे।

3. '1. दंत्य पाठ्यक्रम में दाखिला–पात्रता मानदंड' शीर्षक के अधीन विनियम 1 के उप–विनियम 1 के बाद निम्न उप–विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा जो मौजूदा उप–नियम '2' '3' के रूप में पुनःसंख्याकित किया जाएगा:

"2. उसने 'छात्रों का चयन' शीर्षक के अधीन विनियम II के उप–विनियम 5 में यथानिर्धारित राष्ट्रीय पात्रता–एवं–प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम अंक अर्जित कर लिए हैं।"

4. भारतीय दंत्य परिषद संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम विनियम, 2007 के विनियम 1 के उप–विनियम 2 में 'उसने नीचे बताए अनुसार अर्हक परीक्षा पास कर ली है' शब्दों से पहले 'राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा में बैठने का पात्र होने के लिए' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

5.(i) इस संशोधनों के शुरू होने के बाद विनियम 1 के उप–विनियम 3 में बीडीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए 'गणित में प्राप्त अंकों पर विचार नहीं किया जाएगा'।

(ii) छात्रों का चयन शीर्षक के अधीन मौजूदा विनियम II में 1 से 4 तक के उप–विनियम विलोपित कर दिए जाएंगे।

6. 'बीडीएस मे दाखिले की क्रियाविधि' निम्नानुसार होगी शीर्षक के अधीन विनियम II के मौजूदा उप–विनियम में विलोपित किया जाएगा और निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"i. प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में बीडीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता–एवं–प्रवेश परीक्षा' के नाम से एक अकेली पात्रता–एवं–प्रवेश परीक्षा होगी।

ii. किसी विशेष शैक्षणिक वर्ष में बीडीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए पात्र होने के वास्ते यह जरूरी है कि अभ्यर्थी ने उक्त शैक्षणिक वर्ष में आयोजित 'बीडीएस पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय पात्रता–एवं–प्रवेश परीक्षा' में 50वें शतमक (पर्सेंटाइल) पर न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। तथापि, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को 40वें शतमक पर न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे। उपर्युक्त उप–विनियम 4 के अर्थों में शरीर के निचले अंगों में गतिक निःशक्तता से पीड़ित अभ्यर्थियों के मामले में इन संशोधनों के लागू किए जाने के बाद न्यूनतम अंक 45वें शतमक पर होंगे। शतमक का निर्धारण 'बीडीएस पाठ्यक्रम में दाखिल के लिए राष्ट्रीय पात्रता–एवं–प्रवेश परीक्षा' में अखिल भारतीय सामान्य योग्यताक्रम सूची में प्राप्त उच्चतम अंकों के आधार पर किया जाएगा।"

लेकिन शर्त यह है कि यदि संबंधित श्रेणियों के अभ्यर्थी बीडीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए पर्याप्त संख्या में किसी शैक्षणिक वर्ष के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता–एवं–प्रवेश परीक्षा में यथानिर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल रहते हैं, तो केन्द्रीय सरकार, भारतीय दंत्य परिषद के परामर्श से अपने विवेकानुसार संबंधित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में बीडीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंकों को घटा सकती है और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार घटाए गए अंक केवल उसी शैक्षणिक वर्ष के लिए लागू होंगे।

iii. दंत्य कालेजों में संबंधित श्रेणियों के लिए सीटों का आरक्षण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में मौजूद यथालागू विधि के अनुसार होगा। राष्ट्रीय पात्रता–एवं–प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की एक अखिल भारतीय योग्यताक्रम सूची और साथ ही राज्य–वार योग्यताक्रम सूची तैयार की जाएगी और अभ्यर्थियों को बीडीएस पाठ्यक्रम में दाखिला केवल उपर्युक्त सूचियों के आधार पर दिया जाएगा।

iv. ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जो धारा (ii) में यथानिर्धारित न्यूनतम पात्रता अंक प्राप्त करने में असफल रहा है उक्त शैक्षणिक वर्ष में बीडीएस पाठ्यक्रम में दाखिला नहीं दिया जाएगा।

v. संबंधित श्रेणियों के भीतर बीडीएस पाठ्यक्रम में सभी दाखिले पूर्णतः राष्ट्रीय पात्रता–एवं–प्रवेश परीक्षा में अर्जित अंकों पर आधारित होंगे।

vi. बीडीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के वास्ते पात्र होने के लिए यह जरूरी है कि अभ्यर्थी ने विनियम के उप–विनियम 2 में यथानिर्दिष्ट अर्हक परीक्षा में भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र जीवविज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी तथा अंग्रेजी विषयों में अलग–अलग विषयों में परीक्षा पास की हो और उसने भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र तथा जीवविज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी में समेकित रूप से कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों और साथ ही उसने बीडीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए 'राष्ट्रीय पात्रता–एवं–प्रवेश परीक्षा' की योग्यताक्रम सूची में कोई स्थान प्राप्त किया हो। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अथवा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में अर्हक परीक्षा में भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र तथा जीवविज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी में समेकित रूप से प्राप्त न्यूनतम अंक 50% की बजाय 40% होंगे। उप–विनियम 4 के अर्थों में शरीर के निचले अंगों की गतिक निःशक्तता से ग्रस्त अभ्यर्थियों के मामले में उपर्युक्त विनियम 1 में इन संशोधनों के लागू होने के बाद अर्हक परीक्षा में भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र तथा जीवविज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी में समेकित रूप से न्यूनतम अंक 50% की बजाय 45% होंगे।

लेकिन शर्त यह है कि ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जो ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठा है जिसका परिणाम घोषित नहीं किया गया है, उसे अनंतिम रूप से राष्ट्रीय पात्रता–एवं–प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी जाएगी और बीडीएस पाठ्यक्रम में चयन हो जाने की स्थिति में उसे पाठ्यक्रम में तब तक दाखिला नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसने विनियम I के अधीन पात्रता मानदंडों की पूर्ति न कर ली हो।

vii. बीडीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता–एवं–प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाला संगठन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होगा।"

कर्नल (सेवानिवृत्त) डॉ. एस. के. ओझा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन III/4/98/12/असा.]

**पाद टिप्पणी :** मूल विनियम अर्थात 'भारतीय दंत्य परिषद बीडीएस पाठ्यक्रम विनियम, 2007' दिनांक 10 सितंबर, की अधिसूचना के अधीन भारत के राजपत्र के भाग III, खंड (4) में प्रकाशित किए गए थे जिन्हें बाद में 11.1.2008, 29.10.2010, 25.8.2011, 9.12.2011 की अधिसूचनाओं के जरिए संशोधित किया गया था।

## DENTAL COUNCIL OF INDIA

## NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2012

**No.DE-22-2012.**–In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Dentists Act, 1948, the Dental Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Amendments to the existing principal Revised BDS Course Regulations, 2007, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 10th September, 2007:–

1. **Short title and commencement:–**

(i) These Regulations may be called the **Dental Council of India Revised BDS Course (5th Amendment) Regulations, 2007**.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette from the academic session 2013-14.

2. In "Dental Council of India Revised BDS Course Regulations, 2007", the following **insertion / modifications / deletions / substitutions**, shall be as indicated therein:-

3. After sub-regulation 1. of Regulation I, under the heading "**I. Admission to the Dental Course – Eligibility Criteria**", the following new sub-regulation **shall be inserted**, and the existing sub-regulation "2." is re-numbered as "3.", as under:-

"2. He/She has obtained a minimum of marks in National Eligibility-cum-Entrance Test as prescribed in sub-regulation 5 of Regulation II under the heading **"Selection of students:"**.

4. In Sub-regulation 2 of Regulation I of Dental Council of India Revised BDS Course Regulations, 2007, in the first line before the words "He/she has passed qualifying examination as under:-", the word "In order to be eligible to take National Eligibility-cum-Entrance Test," **shall be inserted**.

5.(i) In Sub-regulation 3 of Regulation I, after the commencement of these amendments, the "**Note:**" with the sentence "Marks obtained in Mathematics are not to be considered for admission to BDS Course." **shall be deleted**.

(ii) In the existing Regulation II, under the heading "**Selection of Students**", sub-regulation "1. to 4." **shall be deleted.**

6. In the existing Sub-regulation 5 of Regulation II, under the heading "Procedure for selection to BDS course shall be as follows:-" **shall be deleted and substituted** as under:-

"i. There shall be a single eligibility-cum-entrance examination namely "National Eligibility-cum-Entrance Test for admission to BDS course" in each academic year."

ii. In order to be eligible for admission to BDS Course for a particular academic year, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum of marks at 50$^{th}$ percentile in 'National Eligibility-cum-Entrance Test to BDS course' held for the said academic year. However, in respect of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the minimum marks shall be at 40$^{th}$ percentile. In respect of candidates with locomotory disability of lower limbs terms of sub-regulation 4 above, after the commencement of these amendments, the minimum marks shall be at 45$^{th}$ percentile. The percentile shall be determined on the basis of highest marks secured in the All-India common merit list in "National Eligibility-cum-Entrance Test for admission to BDS course".

Provided when sufficient number of candidates in the respective categories fail to secure minimum marks as prescribed in National Eligibility-cum-Entrance Test held for any academic year for admission to BDS Course, the Central Government in consultation with Dental Council of India may at its discretion lower the minimum marks required for admission to BDS Course for candidates belonging to respective categories and marks so lowered by the Central Government shall be applicable for the said academic year only.

iii. The reservation of seats in dental colleges for respective categories shall be as per applicable laws prevailing in States/Union Territories. An all India merit list as well as State-wise merit list of the eligible candidates shall be prepared on the basis of the marks obtained in National Eligibility-cum-Entrance Test and candidates shall be admitted to BDS course from the said lists only.

iv. No Candidate who has failed to obtain the minimum eligibility marks as prescribed in Clause (ii.) above shall be admitted to BDS course in the said academic year.

v. All admissions to BDS course within the respective categories shall be based solely on marks obtained in the National Eligibility-cum-Entrance Test.

vi. To be eligible for admission to BDS course, a candidate must have passed in the subjects of Physics, Chemistry, Biology/Biotechnology and English individually and must have obtained a minimum of 50% marks taken together in Physics, Chemistry and Biology/Biotechnology at the qualifying examination as mentioned in Sub-regulation 2 of Regulation I and in addition must have come in the merit list of "National Eligibility-cum-Entrance Test" for admission to BDS course. In respect of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or other Backward Classes the minimum marks obtained in Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology taken together in qualifying examination shall be 40%

instead of 50%. In respect of candidates with locomotory disability of lower limbs in terms of sub-regulation 4, after the commencement of these amendments, of Regulation I above, the minimum marks in qualifying examination in Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology taken together in qualifying examination shall be 45% instead of 50%.

Provided that a candidate who has appeared in the qualifying examination the result of which has not been declared, he/she may be provisionally permitted to take up the National Eligibility-cum-Entrance Test and in case of selection for admission to the BDS course, he/she shall not be admitted to that course until he fulfils the eligibility criteria under Regulation I.

vii. The Central Board of Secondary Education shall be the organization to conduct National Eligibility-cum-Entrance Test for admission to BDS course."

Col. (Retd.) Dr. S. K. OJHA, Officiating Secy.

[ADVT. III/4/98/12/Exty.]

**Foot Note :** The Principal Regulations namely, "Dental Council of India Revised BDS Course Regulations, 2007" were published in Part III, Section, Section (4) of the Gazette of India vide Notification dated the 10th September, 2007 and amended vide Gazette Notifications dated 11.01.2008, 29.10.2010, 25.08.2011, 09.12.2011.

1973 GI/12-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.